:: न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा
जिला–डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः– सोनू कुमार गुर्जर RAS

मुकदमा नम्बर 50/2024 दायर दिनांक : 28.06.2024

1. श्री अर्जुनलाल पिता नाथा जाति डामोर
2. श्री रमणलाल पिता नाथा जाति डामोर
3. श्री श्रीमती रेशम पत्नी स्व. नाथा जाति डामोर
4. श्री रायसन पिता नाथा जाति डमोर निवासी खरपेड़ा तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर राज.।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज.।

——अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू.रा.अधि.
सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः–
1. श्री कालूराम डामोर, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 10/06/2025

प्रार्थी प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यहकि प्रार्थीगण गांव खरपेडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है। प्रार्थीगण खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। यह कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा खरपेडा में खाता संख्या 118, खसरा नम्बर 4843/4438 खेत किता 1, कुल रकबा 0.4128 हैक्टेयर में हम प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/4 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। यह कि प्रार्थना पत्र कारण आज से एक सप्ताह पूर्व प्रार्थीगण ने अपने के कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी में काश्त करने गये तो कतिपय अन्य लोग उक्त आराजी में आकर उक्त आराजी की भुमी को अपनी बताकर सीमा विवाद करने लगे। जिस पर प्रार्थीगण ने कहा कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम के अनुसार ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। ऐसे में तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन कतिपय लोग जबरन विवाद करने लगे। कतिपय लोग जबरन अवैध अतिक्रमण कर पत्थर डाल रहे है। प्रार्थीगण ने समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को

Scanned with OKEN Scanner

तैयार ही नहीं हुए तथा जबरन विवाद कर वादग्रस्त आराजी को अपनी बताने लगे तथा प्रार्थीगण की आराजी सीमा पर निशानदेही होने के बादजुद सीमा विवाद कर रहे है। ऐसे में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की पत्थर गढी कर सीमाकर्कीत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी में सीमा विवाद करने लगे। जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थर गढी करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी होने से जबरन अंगडा फंसाद कर परेशान करते है। वादग्रस्त भुमि पर अतिक्रमण करने प्रार्थीगण से अंगडा फंसाद व जान से मारने की धमकीया देते है। जबकि प्रार्थीगण की रिकॉर्डेड आराजी है। जिस पर विवाद करने से लगातार विवाद बढ़ने से प्रार्थना पत्र कारण लगातार उत्पन्न होने लगा। यह कि प्राथीगण ने दिनांक 11.06.2022 को तहसील कार्यालय सीमलवाडा से उक्त आराजी का सीमाकंन, पैमाइश कराया गया है। यह कि प्रार्थीगण के कमाई का एकमात्र जरीया कृषि है ऐसे में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर वंचित हो जाएगा। तथा प्रार्थीगण का परिवार मुखा मर जाएगा। प्रार्थीगण को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः श्री मान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा खरपेडा में खाता संख्या 118, खसरा नम्बर 4843/4438 खेत किता 1, कुल रकबा 0.4128 हैक्टेयर में हम प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/4 हिस्से की वादग्रस्त आराजी का पत्थर गढी कराने आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को तलब किया गया। तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार सीमलवाडा के आदेश क्रमांक भू.अ./सीमा./2022/2067–68 दिनांक 03.06.2022 द्वारा प्रार्थी की आराजी के सीमांकन की कार्यवाही की जा चुकी है। तहसीलदार सीमलवाड़ा ने अपने जवाब में पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किये जाने हेतु कोई आपत्ति पेश नहीं की है। प्रार्थीगण, उक्त खातेदारी भूमि की पत्थर गढी, पत्थर लगा कर, स्थाई सीमा चिन्हों के साथ, पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में कराना चाह रहे हैं। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र न्यायसंगत होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी की गांव मौजा खरपेड़ा में खाता संख्या 118, खसरा नम्बर 4843/4438 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4128 हैक्टेयर भूमि स्थित है,

Scanned with OKEN Scanner

जिसका सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की गांव खरपेड़ा में खाता संख्या 118, खसरा नम्बर 4843/4438 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4128 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के दौरान निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित होवें:–

1. पत्थरगढ़ी की फीस प्रार्थीगण से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवायें।
2. पत्थरगढ़ी की कार्यवाही से पूर्व, पडौसी खातेदारान को विधिवत् सूचित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति विधिक प्रक्रियानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पादित करें।
3. पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कब्जा हस्तांतरण न करें।
4. मौके पर कब्जा सम्बन्धी वाद है तो इस आदेश की पालना में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करें।
5. कब्जा सम्बन्धी मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक् से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

तहसीलदार सीमलवाडा आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करें। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा, थानाधिकारी पुलिस थाना धम्बोला को तहरीर जारी कर, माकुल पुलिस जाब्ता प्राप्त करें।

(सोनू कुमार गुर्जर आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उक्त निर्णय आज दिनांक 10/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner